[Shri M. C. Daga]

to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

12.57 hrs.

RULES COMMITTEE

SIXTH REPORT

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I beg to move·

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

MR. SPEAKER: This question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

The motion was adopted.

12.57-1/2 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED DISSATISFACTION AMONGST UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS OF MADHYA PRADESH

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अनेक राज्यों ने, जिनमें महाराष्ट्र और हरयाणा भी सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयो के शिक्षकों के नये वेतन-मानों को लागू कर दिया है तथा अन्यान्य मांगों को भी स्वीकार कर लिया है । गुजरात राज्य ने उन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है लेकिन अभी तक उनको अमल में नही लाये है । किन्तु मध्य प्रदेश द्वारा यू० जी० सी० के वेतनमानों को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करने से मध्यप्रदेश में स्थिति भयकरतम होती जा रही है । वहा पर शिक्षकों ने हडताल कर दी है और परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है, परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है जिसके कारण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय होने जा रहा है । प्रदेश सरकार द्वारा उक्त शिक्षकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यन्त खेदजनक है । व्यापारिक गतिरोध से इंजीनियरिंग और मैडिकल में जाने वाले विद्यार्थी, नीचे की परीक्षाएं न होने के कारण आगे जाने में असमथ रहेंगे । मामला अत्यधिक गंभीर है अतः केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे । विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी इस बारे में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया है । इसलिये केन्द्रीय सरकार इस मामले